

प्रेषक,

एच०पी० सिंह,
विशेष सचिव,
उप्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभियान,
उप्र०, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : २५ जुलाई, 2015

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वर्सिटीयों में इंटरलॉकिंग, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना" के कार्यान्वयन हेतु अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-840/76/एक/एवीएमवीवीवाई/2013-14, दिनांक 03 जून, 2015, के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वर्सिटीयों में इंटरलॉकिंग, नाली निर्माण य अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना" योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत नगर निगम, लखनऊ के पी०एल०१० में रखी धनराशि से वित्तीय वर्ष 2013-14 में नवापट शामली की ३०प०, शाना भवन य बलाते एवं स०गा०१०, काशला य शामली की गिरिहाना बागान्धाना बाहुल्य वर्सिटीयों में इंटरलॉकिंग य नाली निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अलग-अलग कुल ०५ परियोजनाओं हेतु ₹ ० 150.35 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष ₹ ० 75.175 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-1224/69-1-2013-17(बजट)/2013, दिनांक 30 सितम्बर, 2015 द्वारा जारी की गयी थी। अतएव वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्राविधिक बजट से उक्त परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु संलग्न तालिका के स्तम्भ-६ में अंकित द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि ₹ ० 75.175 लाख (रुपये पचहत्तर लाख सबह हजार पाँच सौ मात्र) की लिम्नलिखित शर्तों/प्रतिवर्त्ती के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

१. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-बजट-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
२. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय दस्तपुस्तिका छण्ड-६ के अध्याय-12 के प्रस्तर-३१८ में वर्णित व्यवस्था के अनुसार पायोजना पर सकाम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सकाम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य पारम्भ किया जायेगा।
३. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिवर्त्ती के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित गद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियों, मालक य गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार प्रवर्त कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका १०८०/१०९० लाभ सम्बन्धित स्थानीय लिवासियों को भिल सके।

4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित दूड़ा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित दूड़ा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिस स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्थीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमत्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय लियाँगों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्थीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्थीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. उक्त प्रायोजन की मात्राओं को निर्माण के रागत रुलिंगित किये जाने का पूर्ण दांविचलनदारी रूप स्था/सम्बन्धित दूड़ा का होगा।
8. स्थीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तापुरितक के सुरांगत प्राविधानों/समरपणमुद्देश पर शासन द्वारा निर्णीत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवगुणत करने से पूर्ण सूड़ा द्वारा यह सुलिंगित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष भी जागत सीमा को कम करने के उद्देश से अथवा प्रायोजन के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकित नहीं की गई है।
10. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित दूड़ा/इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवगुणत करने से पूर्ण यह भी सुलिंगित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनानावर्ती स्थीकृत कार्य ऐतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य सोत से धनराशि स्थीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्भिलित है, जिससे कि रामुचिक्य धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्थीकृत धनराशि तुल्याल राज्यव्यवस्था में जगा करकर शासन को सुधित किया जायेगा।
11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विवृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूड़ा/दूड़ा द्वारा सुलिंगित किया जायेगा।
12. उक्त धनराशि का उत्तरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०३०, लखनऊ द्वारा राधिय/प्रमुख सचिव, अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३०३० शासन के प्रतिहस्ताकारोपरान्त किया जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण वी सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को, भादेश की प्रति के साथ कोपानार का नाम, बाठचर संघटा, लिंगि तथा सेक्षाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. इस धनराशि का उपयोग वालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। लिंगिरित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
15. स्थीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उत्तीर्णी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी ३१ मार्च, २०१६ तक व्यय हो सके।

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत योजनान्तर्गत प्राविधिक बजट में उपलब्ध भारतीय से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गवर्नर वस्तियों व विकास-051-निर्माण-03-मलिन वस्तियों तथा अल्पसंख्यक बहुल्य वस्तियों में री0पी0 रोड/इण्टरलाइंकिंग लाली आदि का निर्माण-35-पूँजीगत परिरक्षणियों के सूचन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-2/2015/वी 1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 व समय-समय पर जारी आदेशों के तहत विये जा रहे हैं।
संलग्नक: यथोचक।

मवदीय,
१२५
(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-706/2015/1597(1)/69-1-2015 तिलिंगका।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकडारी), प्रथम, ३०प्र०, २० सरोजनी न्यायद्वारा मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शाशन।
4. जिलाधिकारी/अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, शामती।
5. गुरुदय कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (झै-८) अनुभाग, ३०प्र० शाशन।
7. नियोजन अनुभाग ४, ३०प्र० शाशन।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ।
9. राहायक घेब मार्टर, सूडा को विभागीय घेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,
(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव।

प्र०	अवधि/संख्या	विषय/ नाम	चर्चा/वार्ता का लाभ	(प्रत्यापिता लाभ रूपरेखा)	
				परियोजना की कुल नाम्या	द्वितीय/अंतिम किस्त के रूप में रचीहुई शोध धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	शामली	न०३०, याता भवन	ग्रो० हफिज दोस्ता में अंसारियों के गवर्नमेन्ट रो ऊन रोड तक सी०सी० इंटरलाइंग सड़क य बाबी निर्माण का कार्य।	33.26	16.63
2	शामली	न०३०, बनत	ग्रो० रेडासपुरी गौ गैट कुरीरी से भुंशी बंजारे य खुरशीद के मवान से कारबूब के गवान तक निट्री भराव य सी०सी० इंटरलाइंग सड़क निर्माण कार्य।	36.71	18.355
3	शामली	न०३००००, बदक्खीला	रोड न० ०७, न०० छेल जै घूलिक इंटर कालेज रो जमेसे तक सी०सी० इंटरलाइंग सड़क निर्माण कार्य।	33.40	16.55
4	शामली	न०३०, बनत	ग्रो० हकीकत जगर उत्तरी में अद्वान के गवान से पी०डम्ब०ग०डी० रोड तक सी०सी० इंटरलाइंग सड़क रेडासपुरी निर्माण का कार्य।	9.23	4.615
5	शामली	न०३००००, शामली	ग्रो० सलेक बिहार में गुरुत्वादीग य० गवान से जैसिय के मवान तक, जाकिर के मवान रो आसी लालू य० निर्माण तक य शपिल के गवान से नूर दीन के बेलून तक निट्री भराव, सी०सी० इंटरलाइंग सड़क य नाम्या निर्माण कार्य।	18.05	9.025
गोपनीय				150.15	75.175

(रूपरेखा पर्याप्ततार लाभ सत्रह हजार पाँच सौ रुपौर्सि)

hpsk
(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव